

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 309]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 नवम्बर 2025—कार्तिक 20, शक 1947

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2025

FOR/5/0003/2024-Sec-2-10(FOR):: जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 63 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"9 पदेन सदस्यों की नियुक्ति. - राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों / संगठनों से पदेन सदस्य एवं एक विशेष आमंत्रित सदस्य, अपना-अपना पद धारण करने तक नियुक्त किए जाएंगे:-

- (1) कृषि उत्पादन आयुक्त,
- (2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,
- (3) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,

- (4) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग,
 (5) कुलगुरु, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर,
 (6) सदस्य-सचिव, राज्य जैवविविधता बोर्ड,

विशेष आमंत्रित सदस्य

- (7) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 राजबेन्द्र मिश्रा, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2025

FOR-5-0003-2024-Sec-2-दस(FOR) .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR-5-0003-2024-Sec-2-दस (FOR), दिनांक 11 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 राजबेन्द्र मिश्रा, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 11th November 2025

FOR/5/0003/2024-Sec-2-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 63 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Biological Diversity Rules, 2004, namely:-

AMENDMENT

In the said rules, for rule 9, the following rule shall be substituted, namely:-

"9. Appointment of Ex-officio Members. Six ex-officio members and one special invitee shall be appointed from the following Departments/Organisations of the State Government as long as they hold their respective offices:-

- (1) Commissioner of Agricultural Production,
- (2) Principal Chief Conservator of Forests and Head of Forest forces,
- (3) Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Panchayat and Rural Development Department,
- (4) Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Tribal Affairs Department,
- (5) Vice Chancellor, Jawaharlal Nehru Agricultural University, Jabalpur,
- (6) Member Secretary of State Biodiversity Board,

Special invitee member

- (7) Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Finance Department".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
 RAJBENDRA MISHRA, Ex-Officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2025

FOR/5/0003/2024-Sec-2-10(FOR) :: जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 22 की उप-धारा (1) तथा (4) के साथ पठित मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 3,4,6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक, 11 अप्रैल, 2005 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-2-2002-सत्तावन दिनांक, 11 अप्रैल, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (1) अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

"1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग.

अध्यक्ष।"

- (2) अनुक्रमांक 2 से 6 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

- "(1) कृषि उत्पादन आयुक्त,
(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,
(3) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
(4) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग,
(5) कुलगुरु, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर,
(6) राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य-सचिव,

दिशेष आमंत्रित सदस्य

- (7) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजबेन्द्र मिश्रा, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2025

FOR-5-0003-2024-Sec-2-दस(FOR) .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR-5-0003-2024-Sec-2-दस(FOR), दिनांक 11 नवम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजबेन्द्र मिश्रा, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 11th November 2025

FOR/5/0003/2024-Sec-2-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (4) of section 22 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003) read with rules 3, 4, 6 and 9 of the Madhya Pradesh Biological Diversity Rules, 2004, the State Government, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No. F 1-2-2002-LVII dated 11th April, 2005 published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) dated 11th April, 2005, namely:-

AMENDMENT

In the said Notification,-

(1) For serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

"1. Additional Chief Secretary/Principal Secretary,
Government of Madhya Pradesh, Forest Department **Chairman.**"

(2) For serial numbers 2 to 6 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

- (1) Agricultural Production Commissioner,
- (2) Principal Chief Conservator of Forests and Head of Forest forces,
- (3) Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Panchayat and Rural Development Department,
- (4) Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Tribal Affairs Department,
- (5) Vice Chancellor, Jawaharlal Nehru Agricultural University, Jabalpur,
- (6) Member Secretary of State Biodiversity Board,

Special invitee member

(7) Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Finance Department".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJBENDRA MISHRA, Ex-Officio Dy. Secy.